A-13216	07.02.2014	2013	श्री एस0के0 तिवारी, 111 हरि मन्दिर तल्ला कुवाड़खोला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड बनाम प्रबंधक गैस सर्विस कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 अल्मोड़ा, विभागीय अपीलीय अधिकारी महाप्रबंधक प्रशासन कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 ओक पार्क हाउस मल्लीताल नैनीताल	प्रबंधक गैस सर्विस कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 अल्मोड़ा पर 3000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं।	3000	0		चालान संख्या 6 दिनांक 23.4.2014 के द्वारा जमा कर दी गयी है		3000
A-13300	07.02.2014	2013	श्री जगदीश कुलियाल पुत्र श्री मायानन्द लक्ष्मी निवास शीशमझाड़ी मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड बनाम प्रभागीय वनाधिकारी नेरन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड, वि0अ0अधि0 वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनि की रेती टिहीर गढ़वाल उत्तराखण्ड	प्रभागीय वनाधिकारी, नेरन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 1500 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	1500	0				0
A-13078	26.02.2014	2013	श्री विष्णुदेव पुत्र श्री खुड़बुड़, ग्राम बरीअंजयां, तहसील खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, लो0सू0अधि0 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तहसील खटीमा जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड, वि0अ0अधि0 तहसीलदार खटीमा जिला उधम सिंह नगर	लो0सू0अधि0 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तहसील खटीमा जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड,10,000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	10,000	0				0
A-12447	26.02.2014	2013	श्री अरूण कुमार अहुलवालिया, 57 शास्त्रीनगर, निकट आशियाना बेकर्स, हरिद्वार रोड पोस्ट नेहरूग्राम ला0सू0अधि0 कलेक्ट्रेट देहरादून, वि0अ0अधि0 अपर जिला अधिकारी प्रशासन जिला देहरादून उत्तराखण्ड	ला0सू0अधि0, कलेक्ट्रेट, देहरादून पर 5000 रूपये की सांकेतिक शास्ति आरोपित की गयी हैं	5,000	0				0
A-13892	03.03.2014	2013	श्री जसविन्द्रर सिह पुत्र श्री भजन सिंह, ग्राम रूपदेव पुर पोस्ट वैलपोखरा जिला नैनीताल उत्तराखण्ड, खण्ड विकास अधिकारी रामनगर जिला नैनीताल, वि0अ0धि0 जिला विकास अधिकारी नैनीताल विकास खण्ड भीमताल जिला नैनीताल, ''लोक प्राधिकारी मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग''	खण्ड विकास अधिकारी रामनगर जिला नैनीताल, पर 2000 रूपये की शास्ति आरोपित किया गया हैं	2000	0				0
A-13352	05.03.2014	2013	श्री अमीर अहमद पुत्र श्री जफॅर अहमद, ग्राम व पोस्ट सिरचन्दी ब्लाक व थाना भगवानुपर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ''बनाम, ग्राम प्रधान, ग्राम सिरचन्दी पोस्ट खासा विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार वि0अ0वि0 खण्ड विकास अधिकारी भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	ग्राम प्रधान, ग्राम सिरचन्दी पोस्ट खासा विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार पर 10,000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	10,000	0			दिनांक 30/5/2014 को जमा कर दिया गया है।	10000

A-13362	05.03.2014	2013	श्री पुपेन्द्र पुत्र श्री भोपाल सिंह ग्राम सिकन्दरपुर पोस्ट गोरधनपुर विकास खण्ड खानपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड बनाम, प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सिकन्दरपुर विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, खण्ड विकास अधिकारी खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सिकन्दरपुर, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	5000	0				0
					1439750.00	**16000.00**	**3**	**7**		**71750**

आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

10. आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा दिनॉक 06/11/2013 से दिनॉक 31/10/2014 तक आहुत समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा 25 सितम्बर 2013 को निर्णय लिया गया था कि चारों मा. राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा/निरीक्षण, उनके मार्गदर्शन एवं इस अधिनियम के कियान्वयन के सम्बन्ध में जनसामान्य की कठिनाईयों के संज्ञान / निराकरण एवं उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु बैठक की जाय। जिस हेतु उत्तराखण्ड सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य क्षेत्र विभाजन किया गया।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी को जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली, पौडी गढवाल आवंटित किये गये थे। इससे पूर्व 2012–13 में उन्हें जनपद हरिद्वार, देहरादून, टिहरी उत्तरकाशी आवंटित थे। जिसमें प्रत्येक खण्डों अथवा 27 खण्डों में 26 बैठकें आयोजित की गयी थी। इससे भी पूर्व वर्ष 2010 में प्रदेश में सभी जनपदों में इस प्रकार की 13 बैठकें की गई थी जिसके अन्तर्गत 10:30 से 12:30 तक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी व अपराहन 03:30 से 05:30 बजे तक प्रत्येक नागरिक/आमजनता को आमंत्रित किया गया था। दिनॉक 25/09/2013 के निर्णय के उपरान्त उनके द्वारा दिनॉक 06/11/2013 से 31/10/2014 तक कुल 22 तहसीलों, मुनस्यारी, धारचुला व अन्य स्थानों की विचार गोष्ठियों में प्रतिभाग किया गया। सभी तहसीलों में 2–2 घन्टों की पृथक–पृथक बैठकें की गई। 12/09/2013 से पूर्व के जनपदों व खण्डों में दिये गये वक्तव्य पूर्व की वार्षिक रिर्पोट में प्रकाशित किये गये हैं।

इन तीन जनपदों पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली के कार्यक्रम के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा उक्त सभी जनपद के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके साथ गोष्ठी में लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को संलग्न प्रारूप/विवरण अपने साथ लाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रथम विचार गोष्ठी

जनपद–चमोली
तहसील–पोखरी
दिनॉक –06 / 11 / 2013
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार पोखरी
कुल उपस्थिति–56
समय– (प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 12:30 बजे तक)

विचार गोष्ठी में मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी श्रीमती कुसुम चौहान, नायब तहसीलदार श्री थेप सिंह नेगी, पूर्व ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता नेगी व्यापार संघ अध्यक्ष श्री मंगल सिंह नेगी एवम् छात्र संघ अध्यक्ष पोखरी कु0 रश्मि उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का स्वागत किया गया। माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक तहसील में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. आवेदकों द्वारा एक ही सूचना बार–बार मांगी जाती है। **(लोक सूचना अधिकारी थानाध्यक्ष पोखरी जिला चमोली)**
2. अंग्रेजी में आवेदक द्वारा जो सूचना मांगी जाती हैं उसमें स्पष्ट सूचना का विवरण अंकित नहीं होता। **(लोक सूचना अधिकारी थानाध्यक्ष पोखरी जिला चमोली)**
3. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा पूछे जाने पर उसके द्वारा एक आवेदन में पूछे जाने वाले बिन्दुओं की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।
4. कई सूचनायें विद्यालय स्तर से नहीं होने पर भी अनावश्यक रूप से विद्यालय को भी सूचना देने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जाता है। साथ ही सम्बन्धित को सूचना पंजीकृत डाक से प्रेषित करने के निर्देश हैं। जिससे विद्यालय को अतिरिक्त आर्थिक समस्या का सामना करना पड रहा है। **(प्रधानाचार्य रा0इ0का0 नागनाथ पोखरी चमोली)**।
5. एक ही सूचना को दस व्यक्ति बारी–बारी से मॉगते है तो ऐसी स्थति में लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिए?
6. पुलिस केस की विवेचना के दौरान कोई सीडी / केस डायरी की सूचना मांगता है तो उसे दिया जाना चाहिए अथवा नहीं?
7. सूचना का अधिकार अधिनियम में किन सूचनाओं को नहीं मांगा जा सकता?
8. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है?
9. सूचना प्राप्ति के प्रार्थना पत्र को किन मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्पादन करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण अनिवार्य हो ताकि सूचना का आदना प्रदान सुनियोजित किया जा सके। **(खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखरी)**
2. सूचना अधिकार अधिनियम में यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को उसे निरस्त करने का अधिकार होना चाहिये क्योकि यदि वह सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दी जाती है तो उस पर डाक प्रेषित करने के लिये अतिरिक्त व्यय होगा।
3. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उन्ही बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये जो कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर धारित हों।
4. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह किस प्रकार के अभिलेखों की सूचना चाहता है।
5. किसी भी कर्मचारी की सी0आर0 सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका की उसमें हित हो। जैसे की विभागीय कर्मचारियों को।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम में उसी व्यक्ति की चल अचल सम्पत्ति दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये

जो कर्मचारी कार्यरत है न की उसके परिवार/बच्चों आदि की सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम जब से लागू किया गया है उसी दिन के बाद की सूचनायें मांगी जानी चाहिये।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये। **(लोक सूचना अधिकारी थानाध्यक्ष पोखरी जिला चमोली)**
10. अभिलेखीय सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिये न कि स्पष्टीकरण एवं औचित्य के सम्बन्ध में।

द्वितीय विचार गोष्ठी

जनपद–चमोली
तहसील–कर्णप्रयाग
दिनॉक –06/11/2013
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार कर्णप्रयाग
कुल उपस्थिति–117
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्रीमती कुसुम चौहान, तहसीलदार एवम् खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग श्रीमती कुसुम चौहान द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अपने सम्बोधन में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को अवगत कराया गया कि वे कुछ प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन सैकडों प्रकरणों में वे भी आवेदक हो सकते हैं। वे भी अपने गॉव के विकास कार्यों, अपने बच्चों भाईयों/बहनों के स्कूल के सम्बन्ध में अपने प्रमोशन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सूचनायें मांग सकते हैं इसलिये उन्हें भी इस प्रकार की विचार गोष्ठियों के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल सकती है कि किस प्रकार अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना है, किस प्रकार की सूचनायें मांगी जा सकती हैं आदि। माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अनुरोधकर्ता स्वयं को एक दूसरे का विरोधी न समझें बल्कि सहयोगी बनकर अपने–2 क्षेत्रों में कार्य करें।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये।

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यदि शुल्क की माँग की जाती है तो क्या आवेदनकर्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही अवगत कराना होगा?
2. यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य सूचना चाह रहा है तथा उसे सूचना दी जा रही है तो कितने पृष्ठों तक निःशुल्क सूचना दी जा सकती है?
3. यदि कोई अनुरोधकर्ता अत्यधिक पुराने समय के अभिलेखों को मांग रहा है तथा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिए?
4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तृतीय पक्ष में कौन–कौन आते हैं और तृतीय पक्ष की सूचना जो लोक सूचना अधिकारी के पास धारित है उसे आवेदक को दिया जा सकता है अथवा नहीं?
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक भारतीय नागरिक सूचना मांग सकता है। अगर कोई किसी संस्था के पैड पर अपने नाम से सूचना मांगता है तो क्या दी जा सकती है?
6. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है?
7. कतिपय व्यक्तियों द्वारा लम्बी अवधि की सूचना मांगी जाती है जिससे कि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण सूचना समय पर दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता है व साथ ही कार्यालय के आवश्यक कार्य बाधित हो जाते हैं। यदि बीस वर्ष पुराने अभिलेख कार्यालय में संरक्षित नहीं हैं तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये। **(लोक सूचना अधिकारी नगर पंचायत, गौचर, जिला चमोली)**

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए

तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए?

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।
4. 48 घण्टे में सूचनाओं को देने के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा यह भी बताना अनिवार्य है कि उसे किस प्रकार की हानी/क्षति हो रही है।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत शुल्क में वृद्धि होनी चाहिये। **(लोक सूचना अधिकारी नगर पंचायत, गौचर, जिला चमोली)**

तृतीय विचार गोष्ठी

जनपद–चमोली
तहसील–चमोली
दिनॉक –07/11/2013
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार दसोली चमोली
कुल उपस्थिति–117
समय– (प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 12:30 बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी श्री संजय सिंह खेतवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अजीत गैरोला, जिला विकास अधिकारी मो0 असलम, उप जिलाधिकारी श्री अवधेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक श्री मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर श्री प्रेम बल्लभ भटट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह रावत, एवं श्री विजय मलासी सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रारम्भ में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

तदोपरान्त माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होनें कहा कि इसको लागू हुये अभी मात्र 8 वर्ष का समय हुआ है और जो लोकप्रियता इस अधिनियम ने प्राप्त की है वह अभी तक इतने कम समय में किसी और अधिनियम ने नहीं प्राप्त की है। उन्होने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकता है इस प्रकार एवम् अन्य जानकारियॉ देने के लिये यह विचार गोष्ठी रखी गई है। उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. शाखा में कर्मचारियों की कमी है एवं कर्मचारियों के पास कार्य की अधिकता है इस कारण सूचना आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने में व्यावहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। **(लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर जिला चमोली)**
2. अधिकतर आवेदन अंग्रेजी में आते हैं जिनकी भाषा जटिल होती है आवेदन हिन्दी सरल भाषा में दिये जाने चाहिये। **(लोक सूचना अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक तपोवन)**।
3. ग्राम प्रधान यदि किसी को सूचना देते हैं या सुनवाई में देहरादून आते हैं तो वे इसका व्यय कहॉ से वहन करेंगे?
4. यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचनायें मांगी जाती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है तथा वह व्यक्ति बार–बार प्रश्न कर रहा है तब उसे आयोग द्वारा दण्डित किया जायेगा अथवा नहीं ?
5. यदि कोई आवेदन ऐसा आता है जो पढ़ने की स्थिति में न हो तब उस स्थिति में विभाग द्वारा क्या किया जाना चाहिए?
6. बीपीएल परिवार के आवेदक को कितनी सूचनायें निःशुल्क दी जा सकती हैं?
7. एक सहायक लोक सूचना अधिकारी कितने लोक सूचना अधिकारियों के लिए कार्य कर सकता है?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की

जानी चाहिए।
3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. शुल्क में वृद्धि की जानी आवश्यक प्रतीत होती है। **(लोक सूचना अधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली)**

चतुर्थ विचार गोष्ठी

जनपद–चमोली
तहसील– जोशीमठ
दिनॉक –08/11/2013
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार जोशीमठ
कुल उपस्थिति–52
समय– (प्रातः 10:30बजे से अपः 12:30बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से तहसीलदार श्री एम0एस0 भण्डारी एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम सिंह डंगवाल उपस्थित थे। प्रारम्भ में श्री एम0एस0 भण्डारी तहसीलदार द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अपने संक्षिप्त संबोधन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में जानकारी दी गई, अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने के लिये कितना शुल्क का भुगतान किस रूप में करना है, यदि बी0पी0एल0 कार्डधारी है उसे शुल्क व अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक छात्र बालक/बालिका चाहे उसकी आयु कितनी ही क्यों न हो सूचना मांग सकता है की जानकारी दी गई।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. आवेदकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए केवल 10 रूपये के पोस्टल आर्डर भेजे जाते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए प्रति पेज की दर 2 रू0 निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठ के अनुसार जो धनराशि आवेदकों से ली जानी हैं प्राप्त करने के लिए 40 रूपये सरकार की तरफ से पंजीकृत डाक के लिये व्यय करना पडता है तब 2 रू0 की धनराशि प्राप्त होती है। इस बिन्दु पर यह सुझाव है कि प्रत्येक सूचना प्राप्त करने के लिए 20 रू0 का पोस्टल आर्डर अनिवार्य करना उचित होगा। **(लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली जोशीमठ, जिला चमोली)**।
2. अनुरोधकर्ताओं द्वारा एक आवेदन पत्र में ज्यादातर प्रश्नवाचक बिन्दु होते है जैसे क्या क्यों आदि क्या लोक सूचना अधिकारी को इन बिन्दुओं की सूचना देना अनिवार्य है।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कौन कौन व्यक्ति सूचना मॉग सकता है?
4. अनुरोधकर्ताओ द्वारा बीस वर्ष पूर्व की सूचना मांगी जाती है। क्या लोक सूचना अधिकारी को सूचना देनी चाहिये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए।
2. सूचना स्पष्ट रूप से मांगी जानी चाहिए एवं प्रत्येक विभाग में सूचना से सम्बन्धित एक अतिरिक्त कार्मिक होना चाहिए। **(प्रधानाचार्य लोक सूचना अधिकारी, राजकीय आश्रम पद्धति उ0 मा0 विद्यालय, जोशीमठ)**
3. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह किस प्रकार के अभिलेखों की सूचना चाहता है।
4. किसी भी कर्मचारी की सम्पत्ति की सूचना सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका कि उसमें हित हो।
5. आवेदन केवल हिन्दी भाषा में होना चाहिये। **(लोक सूचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री बदरीनाथ)**।

पंचम विचार गोष्ठी

जनपद–पौडी
तहसील–यमकेश्वर
दिनॉक –15/01/2014
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–बी0आर0सी0 सभागार यमकेश्वर
समय– (प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 12:30बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से खण्ड विकास अधिकारी, उपस्थित थे। प्रारम्भ में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में अवगत कराया कि इस विचार गोष्ठी में जो भी लोग उपस्थित है वे सभी अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं। इस अधिनियम की जानकारी प्राप्त होने के बाद हम सभी को अपने–अपने प्रतिष्ठानों, निकायों, गॉवों व अपने क्षेत्रों व घरों में जानकारी देनी चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोगों को अधिनियम की जानकारी हो। इस अधिनियम का समुचित प्रयोग कर हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं। उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाये मांगने के लिये किस प्रकार से आवेदन करना चाहिये?
2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी सूचना मांगी जाती है तो शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाता है। उस पर हो रहे खर्च (व्यय) को लोक सूचना अधिकारी किस मद से खर्च करेगा?
3. अनुरोधकर्ता को किस प्रकार की सूचना मांगी जानी चाहिये तथा किस प्रकार की सूचना नहीं मांगी जानी चाहिये?
4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के घर एवं उसके परिवार के सदस्यों की सूचना मांगी जा सकती हैं।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कितने वर्ष पुरानी सूचना लेने का प्रावधान है?
6. किन्ही कर्मचारियों या अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में कोई सूचना माँगी जाती है एवं इसके बाद उन्हे कोई क्षति या हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम में यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार मांगता है तो लोक सूचना अधिकारी को उस अनुरोध पत्र को निरस्त करने का अधिकार होना चाहिये क्योकि यदि वह सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दी जाती है तो उस पर डाक प्रेषित करने के लिये अतिरिक्त व्यय होगा।
2. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उन्ही बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये जो कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर धारित हों।
3. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह किन अभिलेखों की सूचना चाहता है।
4. किसी भी कर्मचारी की सी0आर0 सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका की उसमें हित हो। जैसे कि विभागीय कर्मचारियों को।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम में उसी व्यक्ति की चल अचल सम्पत्ति दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये जो कर्मचारी कार्यरत है न कि उसके परिवार बच्चों आदि की सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

षष्ठम् विचार गोष्ठी

जनपद–पौडी गढवाल
तहसील–कोटद्वार
दिनॉक –15/01/2014
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–तहसील सभागार कोटद्वार
कुल उपस्थिति–60
समय– (अपराहन 03:00बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्री पूर्ण सिंह राणा एवं तहसीलदार श्री वेदपाल सिंह, श्री जगदीश धूलिया ''कालाबडी'' उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी एंव तहसीलदार कोटद्वार द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि हमें भारत की संसद का धन्यवाद देना चाहिये जिसने इतना अधिक लोकप्रिय अधिनियम पारित किया। आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो इसी दृष्टि से प्रत्येक तहसील में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं। उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न

रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?
2. यदि सूचना अनुरोध पत्र का जवाब देते समय लोक सूचना अधिकारी अवकाश पर हैं तथा उस जवाब को अपीलीय अधिकारी अपने हस्ताक्षर से भेजता है तब कहीं अनुरोधकर्ता के अपील करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?
3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने वर्ष पुरानी सूचनायें मांग सकता है?
4. यदि बीस वर्ष पुराने अभिलेख कार्यालय में संरक्षित नहीं हैं तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम में यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को उसे निरस्त करने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि यदि वह सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दी जाती है तो उस पर डाक प्रेषित करने के लिये अतिरिक्त व्यय होगा।
2. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उन्हीं बिन्दुओं की सूचना मांगी जानी चाहिये जो कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर धारित हों।
3. अनुरोधकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह किन अभिलेखों की सूचना चाहता है।
4. किसी भी कर्मचारी की सी0आर0 सिर्फ उस व्यक्ति को देनी चाहिये जिसका कि उसमें हित हो। जैसे कि विभागीय कर्मचारियों को।
5. सूचना अधिकार में उसी व्यक्ति की चल अचल सम्पत्ति दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये जो कर्मचारी कार्यरत है न की उसके परिवार बच्चों आदि की सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

सप्तम् विचार गोष्ठी

जनपद–पौड़ी गढ़वाल
तहसील–लैन्सडाउन

दिनॉक –16/01/2014
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार नौगांव
कुल उपस्थिति–74
समय– (प्रातः 10:30बजे से अपः 12:30बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी श्री पूर्ण राणा एवं प्र0 तहसीलदार सुश्री शालिनी मौर्य, एवं एस0एच0ओ0 लैन्सडाउन उपस्थित थे। प्रारम्भ में उप जिलाधिकारी श्री पूर्ण राणा द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि अभी तक कार्यालयों द्वारा गोपनीयता को आधार बनाकर सूचनायें नहीं दी जाती थी। अब प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी आयु कितनी ही क्यो न हो विकास कार्यो के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है इसकी जानकारी देने के लिये यह विचार गोष्ठी आहुत की गई है।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. निदेशालय/मण्डल/जनपद स्तर पर सम्पादित क्रियाकलापों से सम्बन्धित सूचना निचले स्तर (विद्यालय) के कार्यालयों को हस्तगत कराई जाती है जबकि सम्बन्धित सूचना पूर्व में ही विद्यालय कार्यालयों द्वारा जनपद को भेजी जाती हैं। **(प्रधानाचार्य रा0इ0का0 अधारियाखाल, पौडी गढ़वाल)**
2. कई सूचनायें ऐसी होती हैं कि वे प्रश्न–वाचक होती हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उन सूचनाओं को आवेदकों को कैसे दिया जाये?
3. यदि कोई प्रार्थी अपने द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर सूचनाएं मांगता है तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाए?
4. यदि कोई आवेदक सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत करता है तथा उसे

अतिरिक्त शुल्क के लिए लिखा जाता है और आवेदक शुल्क जमा नहीं करता है। तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये।

5. किन–किन अभिलेखों को विनिष्ट नहीं किया जा सकता?
6. यदि कोई प्रार्थी किसी की पारिवारिक सूचना मांगता है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करनी चाहिये ?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. निदेशालय / मण्डल / जनपद स्तर पर सम्पादित क्रियाकलापों से सम्बन्धित सूचना निचले स्तर (विद्यालय) के कार्यालयों को हस्तगत उसी दशा में किया जाय जब वह उक्त कार्यालयों से सम्बन्धित हों। **(प्रधानाचार्य रा0इ0का0 अधारियाखाल, पौड़ी गढ़वाल)**
2. सूचना भेजने से सम्बन्धित समस्त व्यय कार्यालय लेखन सामग्री से सम्बन्धित बजट व्यय करने की अनुमति या इसके लिए पृथक बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए। **(प्रधानाचार्य रा0इ0का0 अधारियाखाल, पौडी गढवाल)**
3. आवेदक द्वारा अधिकतर मूल अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना एवं विभागीय अपील में अलग सूचना की मॉग करता है इसलिए आवेदक को प्रथम अपील में उपस्थित होना अनिवार्य कराना चाहिये जिससे कि उसके द्वारा चाही गयी बिन्दुओं की सूचनाओं को स्पष्ट रूप से दिया जा सके। **(कोषाधिकारी लैन्सडाउन)**
4. लोक सूचना अधिकारी / प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के लिए दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। उसी प्रकार अनावश्यक या गलत सूचना मांगने वाले आवेदक के लिए भी दण्डात्मक कार्यवाही का भी प्राविधान होना चाहिए जिससे की अनावश्यक समय की बर्बादी से बचा जा सके। **(कोषाधिकारी लैन्सडाउन) (लोक सूचना अधिकारी, तहसील कार्यालय लैन्सडौन)**
5. सूचना अनुभाग के लिये लेखन सामग्री, फोटो स्टेट मशीन / फैक्स, कम्प्यूटर एवं पर्याप्त मात्रा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्त भी की जानी चाहिए जिससे सूचना का आदान प्रदान आसानी से हो सके। **(लोक सूचना अधिकारी, तहसील कार्यालय लैन्सडाउन) (प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडाउन)**
6. सूचना अनुरोध आवेदन पत्र के साथ दस रू0 शुल्क के स्थान पर कम से कम सूचना मांगने हेतु 100 रू0 निर्धारित होना चाहिए एवं समय समय पर लोक सूचना अधिकारी को प्रशिक्षण देना चाहिए। **(प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडाउन)**
7. 48 घण्टे में उन्ही सूचनाओं को देने की बाध्यता हो जिसके लिये अनुरोधकर्ता द्वारा यह भी बताना अनिवार्य हो कि उसे किस प्रकार की हानि / क्षति हो रही है एवं 48 घण्टे की समय सीमा बढाई जानी चाहिए। **(लोक सूचना अधिकारी, तहसील कार्यालय लैन्सडाउन)**

अष्ठम् विचार गोष्ठी

जनपद–पौड़ी गढवाल
तहसील–सतपुली
दिनॉक –16 / 01 / 2014
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–तहसील सभागार सतपुली
कुल उपस्थिति–34
समय– (अपः 03:00 बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से प्रभारी तहसीलदार श्री अमलानन्द उपस्थित थे। प्रारम्भ में तहसीलदार सतपुली श्री अमलानन्द द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

भूमिका के रूप में माननीय आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा उपस्थित समस्त कर्मचारी एवं आम जनता को अवगत कराया कि आप लोगों को यदि किसी निर्माण कार्य, नियुक्ति, टैण्डर, नीलामी आदि में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो आप 10 रूपये नगद जमा कर, या10 रूपये का पोस्टल आर्डर या 10 रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न कर सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांग सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी देने के लिये तहसील स्तर पर आयोग द्वारा इस प्रकार की विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गई हैं, इसी क्रम में आप लोग इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हैं।

उक्त विचार रखने के बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के सम्बन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. ग्राम प्रधान यदि किसी को सूचना देते हैं या सुनवाई में देहरादून आते हैं तो वे इसका व्यय कहॉ से वहन करेंगे?
2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचनायें मांगी जाती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है तथा वह व्यक्ति बार–बार प्रश्न कर रहा है तब उसे आयोग द्वारा दण्डित किया जायेगा अथवा नहीं ?
3. यदि किसी बीपीएल कार्डधारी के कार्ड पर कोई अन्य व्यक्ति सूचनायें मांगता है तब उक्त बीपीएल कार्डधारी से अतिरिक्त शुल्क मांगा जायेगा अथवा नहीं ?
4. यदि कोई आवेदन ऐसा आता है जो पढ़ने की स्थिति में न हो तब उस स्थिति में विभाग द्वारा क्या किया जाना चाहिए?
5. बीपीएल परिवार के आवेदक को कितनी सूचनायें निःशुल्क दी जा सकती हैं?
6. एक सहायक लोक सूचना अधिकारी कितने लोक सूचना अधिकारियों के लिए कार्य कर सकता है?
7. अपीलीय अधिकारी द्वारा यदि सुनवाई हेतु कोई तिथि नियत की जाती है और उन्हें किसी अन्य बैठक में जाना पड़ता है तो उसमें अपीलीय अधिकारी क्या करे?
8. यदि कोई जॉच पुलिस के समक्ष विचाराधीन हो तो क्या उसके संबंध में सूचनायें दी जा सकती हैं?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए इसका प्रचार प्रसार हो।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है इसके लिए प्रत्येक विभाग में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
3. कर्मचारियों की सर्विस बुक अथवा गोपनीय प्रविष्टि आवेदकों को नहीं दी जानी चाहिये।

नवम् विचार गोष्ठी

जनपद–पौडी गढवाल
तहसील–एकेश्वर
दिनॉक –17 / 01 / 2014
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकासखण्ड सभागार चौबटटाखाल
कुल उपस्थिति–102
समय– (प्रातः 10:30बजे से सांय 12:30बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से तहसीलदार बडकोट श्री प्रेम लाल, एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह पांगती उपस्थित थे। प्रारम्भ में तहसीलदार बडकोट श्री प्रेम लाल, एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह पांगती द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि अभी तक कार्यालयों द्वारा गोपनीयता को आधार बनाकर सूचनायें नहीं दी जाती थी। अब प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी आयु कितनी ही क्यो न हो विकास कार्यो के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता हैं इसी की जानकारी देने के लिये यह विचार गोष्ठी आहुत की गई है।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. कई सूचनायें ऐसी होती हैं कि वे प्रश्न–वाचक होती हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उन सूचनाओं को आवेदकों को कैसे दिया जाये ?
2. यदि कोई प्रार्थी अपने द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर सूचनाएं मांगता है तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाए ?
3. यदि कोई आवेदक सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत करता है तथा उसे अतिरिक्त शुल्क के लिए लिखा जाता है और आवेदक शुल्क जमा नहीं करता है। तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?
4. किन–किन अभिलेखों को विनिष्ट नहीं किया जा सकता?
5. यदि कोई प्रार्थी किसी की पारिवारिक सूचना मांगता है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करनी चाहिये ?
6. कोई प्रार्थी अभिलेखों का अवलोकन करना चाहता है

तो लोक सूचना अधिकारी इसकी जांच कैसे करेगा कि उक्त व्यक्ति वहीं है जिसके द्वारा अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. यदि कोई प्रार्थी अपने से संबंधित उत्तर पुस्तिका न मांगकर किसी अन्य की उत्तर पुस्तिकायें मांगता है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या किया जाना चाहिये ?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना अपने से संबंधित उत्तर पुस्तिका की मांग की जानी चाहिये।
2. अवलोकन करते समय अनुरोधकर्ता के पास उसका कोई पहचान पत्र अनिवार्य करना चाहिये या उसके पास प्रतिनिधि का पत्र होना अनिवार्य करना चाहिये।
3. आवेदक द्वारा अधिकतर मूल अनुरोध पत्र में मागी गयी सूचना एवं विभागीय अपील में अलग सूचना की मॉग करता है इसलिए आवेदक को प्रथम अपील में उपस्थित होना अनिवार्य कराना चाहिये जिससे की उसके द्वारा चाही गयी बिन्दुओ की सूचनाओं को स्पष्ट रूप से दिया जा सके।
4. 48 घण्टे में उन्ही सूचनाओं को देने की वाध्यता हो जिसके लिये अनुरोधकर्ता द्वारा यह भी बताना अनिवार्य हो कि उसे किस प्रकार की हानि/क्षति हो रही है।

दशम् विचार गोष्ठी

जनपद–पौडी गढवाल
तहसील–पौडी गढवाल
दिनॉक –17/01/2014
गोष्ठी हेतु आयोजन स्थल–विकास भवन सभागार
कुल उपस्थिति–116
समय– (अपः 03:00 बजे से सांय 05:00बजे तक)

विचार गोष्ठी में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी श्री नवनीत पाण्डे उप जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह उपस्थित थे। प्रारम्भ में मुख्य विकास अधिकारी श्री नवनीत पाण्डे एवं उप जिलाधिकारी पौडी श्री ए0एल0 शाह द्वारा माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भूमिका के रूप में बताया गया कि हमें भारत की संसद का धन्यवाद देना चाहिये जिसने इतना अधिक लोकप्रिय अधिनियम पारित किया। आयोग चाहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी हो, इसी दृष्टि से प्रत्येक तहसील में विचार गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता के लिये बनाया गया है। जिसका उपयोग प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी होने के बावजूद अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है इसके लिये सभी अधिकारी और कर्मचारी साधूवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे सुझाव भी कभी अति महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उचित मंच पर उनको आ रही कठिनाइयों और उनसे प्राप्त हुए सुझावों को उनके द्वारा रखा जायेगा।

उक्त विचार रखने बाद माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आमजन, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी से अधिनियम में आ रही कठिनाईयों अथवा शंकाओं के बारे में बताने का आग्रह किया गया। शंकाओं के संबन्ध में निम्न रूप से प्रश्न पूछे गये?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न शंकायें व्यक्त की गई।

1. शासन द्वारा ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है जबकि विधायक भी जन प्रतिनिधि है तथा बीपीएल कार्डधारी द्वारा सूचना मांगे जाने पर उसे निःशुल्क सूचना देनी होगी जबकि ग्राम प्रधान के पास ऐसा कोई मद नहीं है जिसमें सरकार द्वारा कोई बजट निर्गत किया जाता हो। इसके लिये आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं?
2. यदि कोई सचिव या सरकार का कोई अधिकारी किसी कार्य को करने के लिये लिखता है या आश्वासन देता है और वह कार्य नहीं होता है तो क्या उस सूचना को मांगा जा सकता है?
3. राज्य सरकार द्वारा कार्यालय मद में पैसा तो दिया नहीं जाता है और कभी–कभी पूछने वाला इतनी अधिक सूचनायें मांगता है कि पूरा विभाग उसी में लग जाता है। यदि अनुरोधकर्ता अपने द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचनायें मांगता है तो क्या उसे दिया जाना चाहिए ?
4. अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में बीपीएल कार्ड धारक से सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना है। जिन विभागों के पास

प्रशासनिक मद में पैसा है वे तो सूचना दे सकते हैं लेकिन ग्राम पंचायत ऐसी संस्था है जो संसाधन विहीन है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत से जो सूचनायें मांगी जाती है वो उस शुल्क को कहॉ से वहन करेंगी। अतिरिक्त शुल्क के रूप में गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर और भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार किया जा सकता है या नहीं?

5. यदि एक व्यक्ति किसी सूचना को बार–बार माँगता है तो लोक सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिये?
6. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब कोई भी सूचना मागी जाती है तो शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाता है। उस पर हो रहे खर्च (व्यय) को लोक सूचना अधिकारी किस मद से खर्च करेगा?
7. सूचना अधिकार अधिनियम में कौन–कौन सी सूचनाये मागी जा सकती हैं?
8. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?
9. सूचना अधिकार अधिनियम का क्या अर्थ है?
10. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा क्या है?
11. सूचना प्राप्त करने हेतू शुल्क या फीस कितनी है?
12. सूचना प्राप्ति के प्रार्थनापत्र को किन किन मामलों के अन्तर्गत अस्वीकार किया जा सकता है?

आमजन एवं लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा विचार गोष्ठी में निम्न सुझाव दिये गये

1. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जो 10 रूपये का शुल्क है उसे बढ़ाकर 100/– रूपये होना चाहिए।
2. अपीलार्थी को प्रथम अपील की सुनवाई में उपस्थित होकर यह बताना चाहिए कि वे किन बिन्दुओं से संतुष्ट नहीं है।
3. यदि यह दृष्टिकोण सुनवाई के समय मालूम हो जाता है कि यह व्यक्ति परेशान कर रहा है तो आयोग द्वारा ऐसे अपीलार्थियों / शिकायतकर्ताओं को दण्डित किया जाना चाहिए जिससे नाजायज रूप से परेशानी से बचा जा सके।
4. कार्यालय में कनटिजैन्सी मद में धनराशि न होने के कारण अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ किये जाने में परेशानी होती है। अतः इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. जन सामान्य को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किस अधिकारी से सूचनायें मांगनी चाहिए तथा सूचना किस प्रकार से मांगी जानी चाहिए। इसके लिये सूचना आयोग द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिये।
6. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु अलग से कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
7. प्रत्येक ग्राम प्रधान को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

उक्त तहसील के अलावा माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा दिनॉक 02/01/2013 को प्राईमरी पाठशाला उदलहेडी मंगलौर, जिला हरिद्वार में आयोजित स्थानीय अभिभावकों/जनसमुदाय एवं छात्र/छात्राओं के जनजागरण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया गया।

दिनॉक 24 मई 2013 को राजकीय बालिका इण्टर कालेज गौचर चमोली में आयोजित स्थानीय अभिभावकों/ जनसमुदाय एवं छात्र/छात्राओं के जनजागरण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया गया।

दिनॉक 31/08/2013 को हरिद्वार में प्राधानाचार्य पी0बी0 म्यु0 इण्टर कालेज हरिद्वार द्वारा आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में छात्र छात्राओं तथा शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गयी।

दिनॉक 01/12/2013 को 03:00 अपराहन से 04:00 अपराहन तक श्री मयंक प्रकाश कोठारी कार्यकम प्रबन्धक 'मंथन–2013' एम.के.वी.एन. स्कूल ओल्ड हरिद्वार रोड, कानवघाटी कोटद्वार जिला पौडी गढवाल में सूचना अधिकार अधिनियम की विचार गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया।

सभी विचार गोष्ठियों में उठाई गई शंकाओं एवम् दिये गये सुझाओं पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा किये गये शंका समाधान एवम् दिये गये वक्तव्यः–

- यदि किसी आवेदक द्वारा एक ही सूचना बार–बार मांगी जाती है तो उसे पूर्व में प्रेषित सूचना का पत्रॉक संख्या व तिथि का उल्लेख कर अवगत कराया जाना चाहिये कि उन्हे पूर्व में वांछित सूचना पेषित कर दी गयी थी। यह भी सम्भव है कि कोई अनुरोधकर्ता पूर्व में

प्रेषित सूचना से सन्तुष्ट न हो, ऐसी स्थिति में अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित सूचना को सन्तोषजनक ढंग से प्रेषित करना चाहिये।

- यदि अनुरोध पत्र अंग्रेजी में प्रेषित किया गया है तो माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णयों का उल्लेख कर सूचित कर देना चाहिये कि उत्तराखण्ड की राजभाषा हिन्दी है। वे अपना अनुरोध पत्र हिन्दी में भेंजें ताकि उन्हें स्पष्ट सूचनायें उपलब्ध कराई जा सकें। यदि कोई अंग्रेज है या हिन्दी भाषा कतई नहीं जानता है तो ऐसे आवेदकों द्वारा प्रेषित अंग्रेजी के अनुरोध पत्रों पर प्रयास करके सूचनायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये। उत्तराखण्ड राज्य की राजभाषा हिन्दी ही है इसका उल्लेख कर भी बता देना चाहिये।

  ''हिन्दी में अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जायें इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा भी आयोग के इस मत से सहमत होते हुए याचिका संख्या 2130/2009 राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग उत्तराखण्ड बनाम उत्तराखण्ड सूचना आयोग एवं अन्य में दिनांक 27/03/2010 एवं याचिका संख्या 2110/2009 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय बनाम उत्तराखण्ड सूचना आयोग व अन्य में दिनांक 12/03/2010 को आयोग के समक्ष हिन्दी में प्रार्थना पत्र दिये जाने व लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी हिन्दी में उत्तर/निर्णय दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अनुरोधकर्ताओं को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी हिन्दी भाषा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। आयोग द्वारा कई बार निर्देश दिये जा चुके हैं कि जिन प्रकरणों में अंग्रेजी भाषा में अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे विशेष परिस्थितियों में ही लेकिन स्वीकार न करें, कार्यालय द्वारा इसका ध्यान न रखकर अपीलार्थी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत प्रत्येक द्वितीय अपील को पंजीकृत कर दिया जाता है।''
- सूचना का अधिकार अधिनियम में एक अनुरोध पत्र में कोई अनुरोधकर्ता कितनी भी सूचनायें मांग सकता है लेकिन प्रयास करना चाहिये कि एक अनुरोध पत्र में दस से अधिक सूचनायें आवश्यक होने पर ही मांगी जायें। ऐसा करना लोक सूचना अधिकारी पर हमारे द्वारा किया गया एक प्रकार का न्याय होगा। अधिनियम में एक सूचना उपलब्ध कराये जाने के हेतु भी 30 दिन, 10 सूचनाओं या एक हजार सूचनाओं के लिये भी तीस दिन का ही प्राविधान रखा गया है। यदि अधिनियम बनाने वालों से कोई चूक हो गई है तो हम इसे सुधार सकते हैं व भविष्य में भारत सरकार को अधिनियम में संशोधन करने हेतु निवेदन भी किया जा सकता है।
- यदि कोई सूचना लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित नहीं है तो उसे धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र प्राप्त होने से 5 दिन अन्दर अन्तरित किया जा सकता है। यदि अनुरोध पत्र अन्तरित होकर आया है एवम् लोक प्राधिकारी स्तर पर वांछित सूचना धारित नही है तो अन्तरित अनुरोध पत्र उस लोक सूचना अधिकारी को वापिस भेजा जा सकता है, जिनके द्वारा अनुरोध पत्र अन्तरित किया गया है। लेकिन ध्यान रहे वास्तव में सूचना धारित न होने पर ही अन्तरित अनुरोध पत्र वापिस भेजा जाना चाहिए।
- कई सूचनायें नियमानुसार लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित होनी चाहिये लेकिन धारित नहीं होती है ऐसी स्थिति में भले ही सूचनायें सृजित करनी पडे सूचना सृजित कर भी सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिये क्योकि धारा 4(1) (ख) में 17 मैनुअल अधिनियम अधिनियमित किये जाने अथवा 15 जून 2005 से 100 दिन की अवधि में बनाये जाने चाहिये थे, किन्तु जिन विभागों द्वारा नहीं बनाया गया है उन्हें अविलम्ब उक्त 17 मैनुअल बना देने चाहिये। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सूचनायें सृजित कर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान नहीं है।
- यदि एक ही सूचना को एक से अधिक या 10 से अधिक व्यक्ति भी मांगते हैं तो यदि वे पृथक–पृथक अनुरोध पत्र व शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो एक ही प्रकार की सूचना इस प्रकार के सभी अनुरोधकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिये। लेकिन यदि एक अनुरोध पत्र में मात्र एक व्यक्ति द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाता है, लेकिन अनुरोध पत्र में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा नाम लिखे एवं हस्ताक्षर किये गये हो तो लोक सूचना अधिकारी ऐसे अनुरोध पत्र को वापिस कर देते हैं लेकिन आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारियों को विभिन्न विचार गोष्ठियों में निर्देशित किया जा चुका है ऐसे प्रकरणों में प्रथम अनुरोधकर्ता जिनके द्वारा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, को ही सूचना भेज दी जानी चाहिये व अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपने नाम व हस्ताक्षर किये हैं को सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि किसी ऐसे प्रकरण जिसमें प्रथम सूचना रिर्पोट लिखाई गयी हो एवं अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया जा रहा हो व अभी तक आरोप पत्र या अन्तिम रिर्पोट प्रस्तुत न की गयी हो व यदि इस प्रकार के प्रकरण में किसी अनुरोधकर्ता द्वारा अन्वेषण अधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना से सम्बन्धित सूचना अथवा

केस डायरी की नकल मागी जाती है तो धारा 8 ज के प्राविधान के अन्तर्गत यदि अन्वेषण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि यदि गतिमान अन्वेषण की सूचना दे दी गयी एवं अपराधी के पकडे जाने या अन्वेषण की क्रिया में व्यवधान पडेगा तो उक्त का उल्लेख करने के साथ लोक सूचना सूचना अधिकारी को सम्बन्धित सूचना देने में छूट प्राप्त है।

- धारा 8 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि सूचना जिसको दिये जाने से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो व पडोसी देशों के साथ सम्बन्ध खराब होने की आशंका हो तो इस प्रकार की सूचना दिये जाने में छूट प्राप्त है।
- किसी न्यायालय द्वारा किसा सूचना को उपलब्ध न कराये जाने के आदेश दिये गये हों एवं सूचना देने से न्यायालय की अवमानना हो तो इस प्रकार की सूचना दिये जाने में छूट प्राप्त है। जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का हनन होता हो, जिसमे वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या किसी व्यक्ति की बौद्धिक संपदा सम्मिलित है जिसके प्रकटन से तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को क्षति होती हो, किसी के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो की सूचना उपलब्ध कराये जाने में भी छूट प्राप्त है।
- धारा 24 के अन्तर्गत पी0ए0सी0, इण्डियन रिजर्व बटालियन, एल0आई0यू0 व भ्रष्टाचार विरोधी सम्बन्धित विभागों पर सूचना का अधिकार अधिनिम लागू नही होगा लेकिन यदि इन छूट प्राप्त विभागों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, व मानवाधिकार हनन की सूचना को मांगा जाता है तो उन्हें इन विभागों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा लेकिन इससे पूर्व राज्य सूचना आयोग की अनुमति ली जानी आवश्यक है। इसका आशय यह है कि इन विभागों में भी लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी पूर्व से ही नियुक्त कर रखे जाने चाहिये।
- धारा 8(3)के अन्तर्गत ऐसी घटना जो 20 वर्ष पुरानी है को भी उपलब्ध कराया जायेगा, यदि सम्बन्धित सूचना से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का हनन न होता हो एवं मंत्री मण्डल के अभिलेख जिसमें मंत्रीमंडल का निर्णय न हुआ हो। इस प्राविधान की व्याख्या करते समय कई लोक सूचना अधिकारी इस आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं कराते कि सूचना 20 वर्ष पुरानी है। कितनी भी पुरानी सूचना को उपलब्ध कराया जा सकता है बशर्ते कि सूचना लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित हो। धारित न होने का संतोषजनक कारण दर्शाना होगा, जैसे कि विनिष्टीकरण नियमावली 1917 के अन्तर्गत अभिलेख विनिष्ट कर दिये गये हैं आदि।
- आज झूठ बोलना फैशन बन गया है। विभागों के पास बजट की कमी होने का संज्ञान होने पर भी आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारियों को पंजीकृत डाक से सूचना व अतिरिक्त शुल्क मांगे जाने की राय दी जाती है, अन्यथा कोई भी अनुरोधकर्ता अतिरिक्त शुल्क जमा करने के पत्र को साधारण डाक द्वारा प्राप्त हो जाने पर भी मना कर देता है। समय पर अतिरिक्त शुल्क न मांगे जाने पर आयोग द्वारा निशुल्क सूचना दिये जाने का आदेश भी दिया जा सकता है। कई लोक सूचना अधिकारी भी अनुरोध पत्र प्राप्त होने से इनकार कर देते हैं। इसलिए आयोग पंजीकृत डाक से प्रेषित करने का सुझाव देता रहता है।
- धारा 7(3)(क) के अन्तर्गत 30 दिन की अवधि मे ही सूचना दी जानी है व इसी अवधि में अतिरिक्त शुल्क की मॉग भी की जानी है। वर्तमान में शासन द्वारा बनाई गयी नियमावली में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 07 दिन के अन्तर्गत अपीलार्थी को अतिरिक्त शुल्क की माग करनी होगी। हो सकता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा भारी भरकम राशि की मॉग साधारण डाक के माध्यम से पत्र पेषित कर ली गई हो व अपीलार्थी पत्र प्राप्त होने से मना कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को निशुल्क सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सकता है। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए ही पंजीकृत डाक से प्रेषित करने की राय दी जाती है।
- आयोग द्वारा कई प्रकरणों में जिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विलम्ब से अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है या अनुरोधकर्ता को पत्र प्रेषण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया गया हो तो सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से अतिरिक्त शुल्क की वसूली के आदेश दिये जाते हैं। उक्त से बचने का एक ही उपाय है कि समय पर पंजीकृत डाक से अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाय।
- सूचना का अधिकार अधिनियम में बी0पी0एल0 कार्डधारी के बी0पी0एल0 कार्ड का सत्यापन किये जाने के उपरान्त उसे निःशुल्क सूचनायें पेषित किये जाने का प्राविधान है। लेकिन वर्तमान में शासन द्वारा बनाई गई नियमावली में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क दी जायेगी। इससे भिन्न सूचना के लिए 50 छाया पृष्ठों अथवा रु. 100 तक की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक की

आवेदित सूचना नियत शुल्क का भुगतान कर प्राप्त की जा सकेगी।

- जिस प्रकार ईश्वर द्वारा 84 लाख योनियों अर्थात जीवों की आयु निर्धारित की गई है, उसी प्रकार विनिष्टीकरण नियमावली 1917 के प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक अभिलेख की आयु निश्चित की गयी है एवं आयोग द्वारा विभिन्न लोक प्राधिकारियों को आयु निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं। अथवा किस प्रकार के अभिलेख को कितने वर्ष में नष्ट करना है एवं किसे सुरक्षित रखना है। आयोग द्वारा भी वर्ष 2007 में प्रत्येक विभाग की सचिवालय एवं निदेशालय स्तर पर विनिष्टकरण नियमावली के अनुरूप अपनी–अपनी विनिष्टीकरण नियमावली बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे। अधिकतर विभागों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं की गयी है। विनिष्टीकरण नियमावली में प्राविधानित अभिलेख की आयु, संरक्षित रखे जाने की अवधि आदि का प्राविधान है, कोई भी अनुरोधकर्ता कितनी भी पुरानी सूचना माग सकता है यदि किसी संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का हनन का मामला न हो इस कारण इस प्रकार के अभिलेख संरक्षित कर रखे जाने चाहिये।
- तृतीय पक्ष की सूचना के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना मांगी जा रही है वह एवम् एक लोक प्राधिकारी भी तृतीय पक्ष की श्रेणी में आ सकता है। अथवा यदि किसी लोक प्राधिकारी या तृतीय पक्ष के सम्बन्ध में सूचनायें मांगी जाती है तो लोक सूचना अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह अनुरोध पत्र प्राप्ति के 5 दिन के अन्दर तृतीय पक्ष अथवा पर व्यक्ति को मागे जाने वाली सूचना के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करें। तृतीय पक्ष 10 दिन के अन्दर अवगत करा सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध न कराई जाय एवम् इसमें किसी प्रकार का जनहित नहीं है, लेकिन मात्र तृतीय पक्ष द्वारा आपत्ति किये जाने के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सूचनाओं के सम्बन्ध में जनहित के सम्बन्ध में विचार कर सूचनायें उपलब्ध कराये या न कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना चाहिये। यदि लोक सूचना अधिकारी को प्रतीत होता है कि यह सूचना जनहित में उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है तो ऐसी सूचना अपत्ति होने पर भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 में भले ही किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त करने का प्राविधान हो लेकिन धारा 3 में स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि सभी नागरिक सूचना के अधिकारी होंगे अथवा भारत का नागरिक ही सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। अधिनियम में ऐसा प्राविधान नहीं है कि जिस प्रकार दीवानी मुकदमों हेतु प्राविधान है कि नाबालिक व्यक्ति की ओर से उसका अभिवाहक ही मुकदमा कर सकते हैं लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम में कोई भी नाबालिक बालक एवं बालिका सूचना प्राप्ति हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई संस्था, पंजीकृत या अपंजीकृत कम्पनी, फर्म, ट्रस्ट, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह संगठन के नाम से सूचना नहीं माग सकते लेकिन कार्यालय या संस्था का कोई भी पदाधिकारी/कर्मी अपने नाम से अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सूचना मांग सकतें हैं।
- यह समस्या प्रत्येक कार्यालय/विभाग की है कि उनके कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है, उन्हें अपना मूल कार्य छोडकर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मागी गयी सूचनाओं के कार्य में व्यस्त रहना पडता है। यह भी अवगत कराया जाता है, कि विभाग के पास बजट आदि नहीं है। कई कार्यालयों में फोटोस्टेट मशीन नहीं हैं तथा उन्हे बाजार से फोटोस्टेट करानी पडती है। उन्हें विभाग से काफी प्रयास करने पर भी पैसा नहीं मिलता। उक्त कारण सूचना का अधिकार अधिनियम में अवरोधक नहीं हो सकते। यह सरकार का काम है कि बजट व कार्मियों की समुचित व्यवस्था करे, फिर भी आयोग मानवीय दृष्किोण ही अपनाता है।
- उत्तराखण्ड के लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी, एवं लोक प्राधिकारियों द्वारा स्टाफ व धन की कमी होने पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू कराने में काफी सहयोग प्रदान किया गया है। आयोग द्वारा शासन को कई बार निर्देशित किया जा चुका है कि जिन विभागों से अधिक सूचनायें मांगी जाती हैं जैसे शिक्षा, गृह, चिकित्सा आदि तो ऐसे विभागों में अतिरिक्त स्टाफ व बजट की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- यदि कोई अनुरोध पत्र अपठनीय है, अनुरोधकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है व शुल्क का भुगतान नही किया गया है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध पत्र को अनुरोधकर्ता को साफ–2 लिखा अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने, हस्ताक्षर कर अनुरोध पत्र प्रस्तुत करनें व शुल्क का भुगतान करनें हेतु पत्र प्रेषित करना चाहिये। जितने दिन में आपत्ति का निराकरण किया जाता है उन दिनों को उस 30 दिन की अवधि में नही गिना जायेगा।
- अनुरोधकर्ता को चाहिये कि यदि सम्भव हो तो टाईप कर अन्यथा साफ–साफ अक्षरों में लिखकर किस

प्रकार की सूचना चाहिए बिना किसी भूमिका के सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन करना चाहिए।

- क्योकि अभी तक ग्राम प्रधान भी लोक सूचना अधिकारी है अतः उन्हें आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर आयोग में उपस्थित होना पडेगा। यदि किसी कारण उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वे ई–मेल, फैक्स, या डाक के माध्यम से अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, या किसी ऐसे प्रतिनिधि को भेज सकते हैं जो कि प्रकरण के तथ्यों से भली भॅती जानकारी रखते हो। जहॉ तक आयोग में आने जाने का खर्च दिलाये जाने का प्रश्न है। तो इस सम्बन्ध में निदेशक पंचायतीराज को बजट हेतु निवेदन किया जा सकता है। लगभग 4 वर्ष पूर्व निदेशक पंचायतीराज द्वारा आयोग में आश्वासन दिया गया था कि जब तक ग्राम प्रधान लोक सूचना अधिकारी के रूप में हैं तब तक प्रत्येक ग्राम सभा को 5000 रूपये वार्षिक की राशि इस मद हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।
- धारा 5 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के साथ–साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। एक सहायक लोक सूचना अधिकारी एक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों एवं एक से अधिक विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सहायक लोक सूचना अधिकारी हो सकते हैं।सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य अनुरोध पत्र या अपील प्राप्त होने के 5 दिन अन्दर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। यह भी सम्भव है कि किसी सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास विभागीय कार्य विभाजन में किसी अनुरोध पत्र से सम्बन्धित अभिलेख हों, ऐसी स्थिति में कोई भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4) के अन्तर्गत ऐसे सहायक लोक सूचना अधिकारी जिनके पास अनुरोध पत्र से सम्बन्धित सूचनायें एवं अभिलेख हैं से सहयोग मांगा जा सकता है। यदि सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है तो उन्हें समतुल्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में लोक सूचना अधिकारी की भॉति आयोग द्वारा शास्ति या विभागीय कार्यवाई की संस्तुति की जा सकती है।
- किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोधकर्ता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आयु की कोई सीमा नहीं। अनुरोधकर्ता 10 रूपये के पोस्टल आर्डर, 10 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर,10 रूपया नगद, या बैंक ड्राफ्ट या चैक के रूप में भी भुगतान कर अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सकते है जिस विभाग से सूचना चाहिए उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि किसी अनुरोधकर्ता को लिखना नहीं आता है तो वह लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी या विभाग के किसी अन्य कर्मचारी से अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोधकर्ता को कार्यालय द्वारा पुर्ण सहयोग दिया जायेगा एवं लिखे गये अनुरोध पत्र की एक प्रति प्राप्ति के उपरान्त अनुरोधकर्ता को भी दी जायेगी।
- यदि कोई अनुरोधकर्ता किसी अधिकारी/कर्मचारी के परिजनों से सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन करता है ऐसी स्थिति में जब तक जनहित न बताया जाय सूचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 03/10/2012 को गिरीश रामचन्द्रन देशपाण्डे एवं दिनॉक 15/04/2013 को आर0के0 जैन के पारित निर्णयों में दिये गये हैं।
- यदि कोई लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी लम्बे समय तक अवकाश पर है तो लोक प्राधिकारी को चाहिए कि ऐसे लोक सूचना अधिकारी के अवकाश पर होने की अवधि में किसी अन्य अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी या विभागीय अपीलीय अधिकारी नियुक्त करें व इस सूचना को नोटिस बोर्ड पर लगायें।
- मांगी गयी सूचना यदि निदेशालय या सचिव स्तर पर उपलब्ध है तो जिम्मेदारी से बचने के लिए सचिव, निदेशक आदि द्वारा धारा 6(3) का प्रयोग कर अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को अन्तरित नहीं किया जाना चाहिए। देखने में आया है कि यदि कोई अनुरोधकर्ता किसी सूचना को उपलब्ध कराये जाने हेतु सचिव, निदेशक, मुख्य अभियन्ता एवं अन्य उच्च अधिकारी के कार्यालय या उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एवं वांछित सूचना उक्त सूचना उच्च अधिकारीयों अथवा लोक प्राधिकारी के स्तर पर धारित होने पर भी अनुरोध पत्र प्रदेश के छोटे–बडे लोक सूचना अधिकारियों को अन्तरित कर दिया जाता है। कुछ समय पूर्व उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियमावली बनाई गयी है जिसमे मात्र 2 लोकप्राधिकारियों को अनुरोध पत्र अन्तरित किये जाने का प्राविधान किया गया है। लेकिन उच्च अधिकारियों/लोकप्राधिकारियों द्वारा कई बार 10–15 व उससे अधिक लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाता है उदाहरण के लिए किसी आवेदक द्वारा सचिव शिक्षा से उत्तराखण्ड प्रदेश से सम्बन्धित यह सूचना मांगी जाती है कि एल0टी विज्ञान विषय के कितने शिक्षक

प्रदेश में कार्यरत हैं, तो सचिव द्वारा महानिदेशक, महानिदेशक द्वारा निदेशक, निदेशक द्वारा दोनों मण्डलों के अपर शिक्षा निदेशकों, मण्डलों के अपर शिक्षा निदेशकों द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को अन्तरित कर दिया जाता है। जबकि उक्त सूचना सचिव स्तर पर ही धारित होनी चाहिए थी। यदि धारित नहीं थी तो सचिव/लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त सूचना अपने अधिनस्थ सम्बन्धित कार्यालयों से धारा 5(4) में आंकडों में सूचना फैक्स, ई–मेल, इत्यादि साधनों से एकत्र कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती थी, लेकिन सभी उच्चाधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये ऐसा करते हैं। ऐसा करने से जिम्मेदारी से तो बचा जा सकता है लेकिन डाक व्यय मार्ग व्यय एवं लिखित पढत आदि में लाखों रूपये का नुकसान भी हम सरकार को पहुॅचा देते हैं। आयोग द्वारा भी इस प्रकार के कृत्य का संज्ञान लेकर कार्यवाई की जा सकती है।

क्योकि प्रत्येक अन्तरण की सूचना अपीलार्थी को भी भेजनी पडती है। यदि इतनी अधिक मात्रा में प्रदेश के हाईस्कूल इण्टरमीडिएट के प्रधानाध्यापक द्वारा सूचना भेजी जायेगी। तो प्रत्येक प्रधानाचार्यो के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिपकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी के समक्ष इतनी प्रथम विभागीय अपीलें प्रस्तुत करनी पडेंगी।

प्रत्येक विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष उतनी ही अधिक मात्रा में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जायेंगी। प्रत्येक द्वितीय अपील में आयोग प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी, अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजेगा जिसमें अनावश्यक आयोग का भी व्यय होगा साथ ही इस प्रकार के सभी अपीलों में लोक सूचना अधिकारियों, विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आयोग में उपस्थित होना पड़ेगा जिससे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मार्ग व्यय आदि भी लिया जायेगा। वे अपने कार्यालय में अनुपस्थित रहेंगें जिसके कारण अधिकारियों के कार्यालय में न मिलने से आम जन को परेशानी होगी तथा विद्यालय में बच्चों की पढाई पर भी प्रभाव पडता है। इसी प्रकार के उदाहरण अन्य विद्यालयों के भी दिये जा सकते हैं। अपीलार्थी को कितनी परेशानी होगी इसकी कल्पना की जा सकती है।

कुछ प्रकरणों में आयोग के संज्ञान में यह भी आया है कि सचिवालय के कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अपने विभाग के प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोध पत्र अन्तरित कर दिया जाता है।

एक प्रकरण में विद्युत विभाग के प्रबन्ध निदेशक द्वारा इसी प्रकार प्रदेश के सभी अधिशासी अभियन्ताओं को अनुरोध पत्र के बिन्दुओं को अन्तरित कर दिया गया। इस प्रकार 36 से अधिक लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोध पत्र अन्तरित किया गया। पुनः कुछ अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को अन्तरित किया गया। इस अपनाई गयी प्रक्रिया से अपीलार्थी को सन्तोषजनक सूचना नहीं नहीं मिलती साथ ही उच्चाधिकारियों के प्रति सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों के मन में सम्मान की भावना न्यून होती है। आयोग की यह राय है कि अनुरोध पत्र को अपने अधीनस्थ कार्यालय को धारा 6(3) में अन्तरित न किया जाये बल्कि लोक प्राधिकारियों के कार्यालय में जो सूचना धारा 4(1)(ख) के 17 मैनुअल के अन्तर्गत धारित होनी चाहिए को स्वयं ही उपलब्ध कराया जाय, साथ ही अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं पर धारा 5(4) के अन्तर्गत सहयोग लिया जाना चाहिये। वर्तमान समय में ई–मेल, फैक्स इत्यादि का प्रयोग कर सम्बन्धित सूचना धारा 5(4) के अन्तर्गत सहयोग लकर प्राप्त की जा सकती हैं। अन्य विभाग के लोक प्राधिकारी को ही अनुरोध पत्र धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना चाहिये।

- यदि अनुरोधकर्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में सूचना मांगी जाती है तो यदि किसी सम्बन्धित सूचना का विभाग में अन्य प्रकार का कोई प्रारूप धारित है तो विभाग के प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिये। यदि इस प्रकार की सूचना के संबधं में लोक प्राधिकारी द्वारा कोई प्रारूप निर्धारित नहीं कर रखा है तो उसी प्रारूप में सूचना प्रेषित करने का प्रयास करना चाहिए। मात्र लोक प्राधिकारी स्तर पर धारित सूचना ही उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी के विभाग के स्तोत्रों को विचलित न करती हो अथवा विभाग का अत्याधिक व्यय न हो साथ ही अभिलेख की सुरक्षा एवं संरक्षण के विरूद्ध ऐसी सूचना न हो ।
- किसी अपीलकर्ता से लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाती है लेकिन यदि अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो लोक सूचना अधिकारी को जब तक अतिरिक्त शुल्क नहीं मिल जाता तब तक सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है। जितना समय अनुरोधकर्ता अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने में

लगाते हैं उतनी अवधि लोक सूचना अधिकारी को अतिरिक्त रूप में मिलेगी। अथवा 30 दिन में उस अवधि को नहीं जोडा जायेगा। इस पर भी संसद को विचार करना चाहिए कि कितने समय तक अतिरिक्त शुल्क जमा करने की प्रतीक्षा की जाय, इस प्रकार का प्राविधान अभी तक नहीं है।

यह भी हो सकता है कि अनुरोधकर्ता यह कहे कि उन्हें अतिरिक्त शुल्क मांगे जाने का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ या उसके द्वारा किसी प्रकार के अभिलेख की मांग नही की गयी थी ऐसी स्थिति में आयोग अपीलार्थी के कथन का संज्ञान भी ले सकता है। अतिरिक्त शुल्क तभी मांगा जाय जब अपीलार्थी द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अभिलेख की मांग की गयी हो। नियमावली के अनुसार अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर अतिरिक्त शुल्क की मांग कर पंजीकृत डाक से प्रेषित करने का प्राविधान है। यदि कोई अपीलार्थी स्थानीय है तो डाक रनर से पत्र प्राप्त कराया जा सकता है साथ ही यदि अपीलकर्ता कार्यालय में आया हो तो उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकती है। विलम्ब से अतिरिक्त शुल्क मांगे जाने पर आयोग द्वारा निशुल्क सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जा सकते हैं जिस कर्मी की लापरवाही से भारी भरकम सूचना निशुल्क देनी पड रही है उस कर्मी से लागत वसूल करने के आदेश आयोग द्वारा कई प्रकरणों में दिये गये हैं।

- यदि किसी अनुरोधकर्ता द्वारा बार–बार सूचना किसी लोक सूचना अधिकारी से मांगी जाती है तो आयोग को इस प्रकार के अनुरोधकर्ताओं पर कार्यवाही करने का सूचना का अधिकार अधिनियम में कोई अधिकार नहीं है। सूचना प्राप्त करना किसी अनुरोधकर्ता का मौलिक अधिकार है। जब तक सम्बन्धित अनुरोधकर्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध न हों किसी अनुरोधकर्ता पर कोंई कार्यवाई करने का प्राविधान नहीं है।
- यदि किसी विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है एवं पक्षकारों को नोटिस प्रेषित किये गये हैं तो विभागीय अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि उक्त तिथि को समय पर अपील की सुनवाई करें। यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी को किसी कारण से अनुपस्थित रहना पडे तो इसकी पूर्व सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को समय पर दूरभाष आदि के माध्यम से दी जा सकती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह अनुरोध पत्र में अपना दूरभाष एवं ई–मेल यदि सम्भव हो तो अंकित करें। कई बार अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे कार्यालय द्वारा अपीलार्थी के हस्ताक्षर करा दिये गये, सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील का निस्तारण कर दिया गया है। अपीलीय अधिकारी को अपने सम्मुख अपील की सुनवाई के समय पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिये तदनुसार ही निर्णय लिया जाना चाहिए।
- कई अपीलार्थी की शिकायत रहती है कि 10 बजे वे विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुये और वे 5 बजे सांय तक कार्यालय में बैठे रहे। लेकिन बाद में बिना उनका पक्ष सुने अपील का निस्तारण कर दिया गया। यह पद्धति भी उचित नहीं, अपीलीय अधिकारी को अपने नोटिस में सुनवाई का समय का भी उल्लेख करना चाहिए। अपीलार्थी की अनुपस्थिति पर कभी भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर अपील निरस्त नही करनी चाहिये बल्कि गुण दोष के आधार पर व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपील का निस्तारण करना चाहिये। इस प्रकार का निस्तारण नहीं करना चाहिये कि क्योंकि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं। अतः ऐसा प्रतीत होता है अपीलार्थी उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट हैं। अतः अपील का निस्तारण किया जाता है।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 6454 वर्ष 2011 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन एवं अन्य बनाम आदित्य बन्दोपाध्याय एवं अन्य में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कोई भी अपीलार्थी यदि वह परीक्षार्थी भी है तो वह अपनी परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की प्रति विभाग की स्कूटनी की प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्राप्त कर सकता है लेकिन पुस्तिका के ऊपर हस्ताक्षर आदि को विलोपित कर दिया जायेगा ताकि सम्बन्धित परीक्षक के जीवन एवं शरीर की सुरक्षा होने के साथ साथ गोपनीयता भी बनी रहे। किसी अन्य की उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती मात्र हस्ताक्षर आदि को विलोपित कर निरीक्षण करवाया जा सकता है। अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रतिलिपि कोई भी अनुरोधकर्ता मॉग सकता है।
- आयोग द्वारा पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया एवं इस पीठ द्वारा भी वर्ष 2009/2010 में निर्देशित किया जा चुका है कि ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी से मुक्त कर दिया जाय। सचिव डा0 राकेश कुमार द्वारा एक प्रकरण में लिखकर दिया गया है कि जैसे ही ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत याचिका का मा0 उच्च न्यायालय में निस्तारण हो जायेगा शासन द्वारा ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी से मुक्त कर दिया जायेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त याचिका की वर्तमान स्थिति

क्या है?

- यदि किसी अधिकारी/सचिव के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई प्रार्थना पत्र या शिकायत प्रस्तुत की जाती है तो कुछ समय बाद सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है कि उक्त प्रार्थना पत्र/शिकायत पर किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है नोटिंग एवं आदेश की प्रति मांगी जा सकती है। आमजन की अधिकारियों से इतनी अधिक अपेक्षा है कि शिकायत प्रस्तुत करने के एक सप्ताह, 10 दिन बाद ही की गई कार्यवाही की सूचना मांग लेते हैं। ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिये फिर भी एक माह तक रूकने के बाद ही सूचना मागी जाय तो उचित होगा।
- यदि मौखिक रूप से किसी प्रकरण को किसी व्यक्ति द्वारा अधिकारी के समक्ष रखा गया है। अगर प्रकरण में कार्य न किया गया हो, अथवा कार्य करने का आश्वासन मैखिक रूप से दिया गया हो तो ऐसी सूचना नहीं मांगी जा सकती। क्योकि मौखिक आश्वासन को कोई साक्ष्य या अभिलेख नहीं होता।
- आयोग द्वारा समय समय पर इस सम्बन्ध में शासन को लिखा गया है कि जिन विभागों से अधिक सूचना मांगी जाती है उन विभागों में अलग से बजट एवं कार्मिकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर देती है तब तक इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम का कियान्यवन किया जाता रहेगा। सूचना देने में इस प्रकार के विलम्ब के कारण को क्षम्य नहीं किया जायेगा कि कर्मचारी नहीं हैं, कार्य की अधिकता है, बजट नहीं है। आयोग मात्र लोक सूचना अधिकारी की परेशानी को देखते हुये इस प्रकार के निर्देश सरकार को देता रहता है।
- शुल्क की धनराशि बडाये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र स्तर एवं राज्य स्तर पर विचार चल रहा है। कई राज्यों ने राशि बडा भी दी है। हमारा राज्य गरीब प्रदेश है इसलिए 10 रू0 की राशि उचित प्रतीत होती है। यह विषय केन्द्र एवं राज्य का है न कि आयोग का।
- ग्राम प्रधानों के पास कोई आकस्मिक धनराशि आदि उपलब्ध नही होती है जिस कारण आयोग द्वारा कई निर्णयों में ग्राम प्रधान को इस दायित्व से मुक्त रखने हेतु शासन को निर्देशित किया गया है। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में कुमाऊ मण्डल के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारण हो जाने पर शासन द्वारा ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी से मुक्त कर दिया जायेगा का आश्वासन दिया गया है।
- आयोग द्वारा कई निर्णयों एवं विचार गोष्ठियों में स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुरोधकर्ताओं को अपने अनुरोध पत्र में स्पष्ट रूप में उल्लिखत किया जाना चाहिए कि उन्हे किस प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी जाय या सूचना उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अपीलार्थी किस प्रकार से एवं किस सूचना से सन्तुष्ट नही है। मात्र प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष या आयोग के समक्ष यह कथन करना कि सूचना से सन्तुष्ट नहीं है, सूचना स्पष्ट नहीं है, या सूचना सन्तोषजनक नहीं उचित नहीं। स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिये कि किस बिन्दु की सूचना शेष रह गई है। शासन द्वारा भी इस प्रकार की नियमावली बना दी गयी है। कि यदि कोई अनुरोध पत्र अपठनीय है, अनुरोधकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है, मांगी गयी सूचना को स्पष्ट करने, शुल्क का भुगतान नही किया गया है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध पत्र को अनुरोधकर्ता को साफ–2 लिखा अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने, हस्ताक्षर कर अनुरोध पत्र प्रस्तुत करनें व शुल्क का भुगतान करनें हेतु पत्र प्रेषित करना चाहिये। जितना समय अनुरोधकर्ता द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण में विलम्ब किया जाता है उन दिनों को उस 30 दिन की अवधि में नही गिना जायेगा।
- आयोग द्वारा कुछ निर्णयों में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी पर धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गयी थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा आयोग के निर्णय को इस आधार पर निरस्त कर निर्धारित किया गया है कि धारा 20 के अन्तर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी पर शास्ति आरोपित करने का प्राविधान नहीं हैं। आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में ही विशेष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसका निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कुछ माह पूर्व कर दिया गया है, एवं विशेष अपील को भी निरस्त किया गया है।

  आयोग द्वारा अपने निर्णय में उल्लिखित किया था कि धारा 5 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के साथ–साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी नियुक्त किये जाने का प्राविधान है प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को नहीं। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी धारा 19(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी से न्यूनतम एक स्तर बडा अधिकारी है। अतः प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी सूचना के अधिकर अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी की ही श्रेणी में रखा गया है। लेकिन मा0 उच्च

न्यायालय द्वारा उक्त तर्क को नहीं माना गया है। इस सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन कर प्राविधान को स्पष्ट किया जा सकता है या मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। माननीय आयुक्त की पीठ में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध धारा 19(8) के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी को प्रशिक्षण कराये जाने, स्थानान्तरण किये जाने या प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद से मुक्त किये जाने की संस्तुति लोक प्राधिकारी से की जाती है।

- उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्देश पर सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा 4(1) (ख) के 17 मैनुअल तैय्यार कर दिये गये हैं, आयोग चाहता है कि उक्त मैनुअल मण्डल अधिकारियों के कार्यालयों एवं जिला स्तर के कार्यालयों में भी तैय्यार किये जाने चाहिए। कई विश्वविद्यालयों द्वारा अभी भी मैनुअल तैय्यार नहीं किये गये हैं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र या अनुरोध पत्र के बिन्दुओं को अन्तरित किये जाने का प्राविधान है। यदि किसी अनुरोधकर्ता को किसी लोक सूचना अधिकारी, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम पता मालूम न हो तो जिस लोक सूचना अधिकारी का वे नाम पता जानते हैं के माध्यम से, कार्यालय के नाम से भी अनुरोध पत्र या अपील भेजी जा सकती है, संबंधित द्वारा सम्बन्धित को धारा 6(3) में अंतरित 5 दिन में किया जाना चाहिए। लेकिन प्रयास होना चाहिये कि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को सीधे अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाय।
- यदि किसान बही को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है एवम् यदि किसी अनुरोकर्ता द्वारा सूचना का अधिनियम के अन्तर्गत किसान बही की नकल दिये जाने का निवेदन किया जाता है तो अनुरोकर्ता को किसान बही की छाया प्रति लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन इसका उपयोग मात्र रिकार्ड हेतु या देखने या अपनी जानकारी के लिए किया जा सकता है। मा0 न्यायालयों में प्रस्तुत करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर ही प्राप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार किसी दीवानी या सिविल न्यायालय का निर्णय की नकल आदि को प्राप्त करने के लिये विभाग में न्यायालय शुल्क एवं प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि मात्र देखने के लिए चाहिए तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उक्त निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी नकल को किसी न्यायालय में अपील में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस हेतु विधिवत न्यायालय शुल्क लगाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान किया गया है कि ''इस अधिनियम के उपबन्द शासकीय गुप्त वाद अधिनियम 1923 एवं ततसमय प्रवृति किसी अन्य विधियों या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उनके उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।'' इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस प्रकार की खतौनी, आदि एवम् माननीय न्यायालयों के निणर्यो आदेशों की प्रति प्राप्त की जा सकती है लेकिन इसका उपयोग अपील निगरानी प्रस्तुत करने हेतु नही किया जा सकता है।
- यदि किसी अनुरोधकर्ता द्वारा मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन किया जाता है। यदि इस प्रकार का प्रमाण पत्र अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व नहीं बनाया गया है, धारित नहीं है तो अनुरोध पत्र की तिथि के उपरान्त बनाकर नहीं दिया जा सकता क्योकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारित सूचना को ही उपलब्ध कराया जा सकता है सूचना सृजित कर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है। अनुरोधकर्ता को सूचित किया जा सकता है कि वह मूल निवास प्राप्त करने हेतु उपयुक्त अभिलेख संलग्न कर सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यदि किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रमाणित कर उपलब्ध नही करायी जाती हैं तो सम्बन्धित अधिकारी से ही निवेदन कर या प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया जा सकता है। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा भी ऐसा न करने पर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
- स्थान–स्थान पर लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं आमजन के द्वारा इस प्रकार की गोष्ठियॉ न्यायपंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर करने का निवेदन किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने एवं लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रशिक्षण देने आदि का कार्य शासन का है। धारा 25 के

अन्तर्गत आयोग का कार्य मात्र पूछताछ करने का है अथवा शासन से पूछताछ करना है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण आमजन, लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी को दिया गया है? क्या अधिनियम की प्रतिलिपि आमजन, एवं लोकप्राधिकारियों के पास उपलब्ध है, क्या सभी अधिकारियों के नाम पते, दूरभाष आदि किसी पुस्तक या वैबसाईट पर उपलब्ध हैं? सभी विषय पर नियमावली बनाई गयी है कि नहीं? आयोग इस प्रकार की विचार गोष्ठियॉ पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त डा0 आर0एस0 टोलिया के समय से ही कर रहा है। क्योकि आयोग यह समझता है कि क्योंकि समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी दिये जाने हेतु कोई विचार गोष्ठी आयोजित नहीं की जा रहीं हैं, यदि आयोग भी आमजन को प्रशिक्षित नहीं करेगा तो अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती है। आयोग द्वारा समय समय पर विभिन्न विद्यालयों, संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों आदि में भी अधिनियम की जानकरी दी जाती है। माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण जिलों देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी के सम्पूर्ण 27 विकासखण्डों एवं चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी जिले के सम्पूर्ण 21 तहसीलों एवं धारचुला एवं मुनस्यारी एवं कई विश्वविद्यालयों, स्कूलों, संस्थानों आदि में भी इस प्रकार की गोष्ठियॉ आयोजित की गयी हैं। अन्य जिलों की तहसील एवं खण्ड अन्य राज्य सूचना आयुक्त महोदय को आवंटित होने के कारण वहां पर उनके द्वारा विचार गोष्ठियॉ नहीं की गयी।

- सूचना का अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी राज्य के लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी अन्य राज्य के या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जा सकता है या धारा 5 (4) के अन्तर्गत सहयोग नहीं मागा जा सकता है? धारा 6(3) एवं 5(4) में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र जिस लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना धारित है को अन्तरित किया जा सकता है। या सहयोग मागा जा सकता है। यदि सम्बन्धित राज्य के लोक सूचना अधिकारी को किये गये अन्तरण के अनुरूप सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है या सूचना धारित न होने के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया जाता है। या धारा 5(4) के अन्तर्गत सहयोग नहीं दिया जाता है, तो आयोग सम्बन्धितों को समतुल्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में पक्षकार बनाकर कारण बताओ नोटिस निर्गत कर आवश्यक होने पर शास्ति आरोपित या विभागीय कार्यवाही की सुस्तुति कर सकता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने सूचनायें प्राप्त करने, प्रथम विभागीय अपील एवं आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। डाक द्वारा, किसी प्रतिनिधि के माध्यम से या स्वयं प्रस्तुत या प्रेषित की जा सकती है। इसी प्रकार लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त कराने हेतु अनुरोधकर्ता को कार्यालय में नहीं बुलाया जाना चाहिए डाक या डाक रनर के माध्यम या अनुरोधकर्ता कार्यालय में उपस्थित हो तो उसे हस्तगत करानी चाहिए। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी व आयोग अपील की सुनवाई या अन्तरित आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित करेंगे लेकिन अपीलार्थी यदि उपस्थित होना चाहे तो उनके विवेक पर निर्भर करता है अन्यथा उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक हो तो आयोग उपस्थित होने हेतु कह सकता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करने का अधिकार होगा। एवं धारा 6 के अन्तर्गत कोई भी भारतीय नागरीक सूचना प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी को नागरिकता सत्यापन के लिए अलग से समय नही दिया जायोगा। यह ठीक है कि धारचुला एवं पिथौरागढ के कुछ स्थानों में नेपाली नागरिकों की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन यह सतर्कता का विषय है कि सूचना भारतीय नागरिक को ही मिले। नेपाल के साथ चीन की सीमा लगी होने के कारण इस प्रकार की सर्तकता और भी आवश्यक है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नोडल विभाग समान्य प्रशासन विभाग है अथवा प्रचार प्रसार का दायित्व भी शासन का ही है। सामान्य प्रशासन विभाग को गॉव–गॉव में प्रत्येक नागरिक को जनपदो के विभिन विद्यालयों में अलग–अलग संस्थाओं के माध्यम से विचार गोष्ठियॉ कर अधिनियम की जानकारी देनी चाहिए। प्रत्येक जिले की डायटों को भी को इस प्रकार की विचार गोष्ठियों को कराने के लिए अलग से प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एन0जी0ओ0 आदि को भी अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि वे गॉव–गॉव में जाकर अधिनियम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकें।

- यह भी देखेने में आया है कि नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज तक की तिथि तक आमजन को सूचना का अधिकार अधिनियम की किसी प्रकार का प्रशिक्षण नही दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अवश्य दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है। यदि राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग इस कार्य को करने में स्वयं को सक्षम नहीं पाता है। तो शासन द्वारा किसी अन्य विभाग को नोडल विभाग बनाया जा सकता है। या अधिनियम में संशोधन कर आयोगों को ही यह काम दिया जा सकता है।
- यह कहना न्योचित नहीं होगा कि शासन नही चाहता कि आमजन को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी हो, यदि ऐसा होता तो भारत की संसद द्वारा क्यो इस अधिनियम को पारित किया जाता। कुछ अधिकारी अपवाद हो सकते हैं लेकिन सम्पूर्ण शासन को दोषी नहीं माना जा सकता।
- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 09 जनवरी 2010 को पारित निर्णय में निर्धारित किया गया है कि किसी गैर सरकारी या वित्तविहिन विद्यालय अथवा ऐसी संस्थाओं जिन्हें सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती के सम्बन्ध में उनके नियन्त्रक विभाग से सूचना मॉगी जा सकती है। उस संस्थान को धारा 11 का नोटिस पूर्व में धारित सूचनाओं को उपलब्ध कराये या न कराये जाने के सम्बन्ध में दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी मात्र तृतीय पक्ष जिसके द्वारा सूचनायें उपलब्ध कराने में आपत्ति की गई है सूचनायें उपलब्ध कराने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये। अधिक से अधिक जनहित निहित होने या ना होने पर अपीलार्थी का भी जनहित के विषय पर पक्ष सुनने के बाद सूचना दिये या न दिये जाने का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन मात्र तृतीय पक्ष द्वारा आपत्ति किये जाने के आधार पर नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रकार की व्यक्तिगत सूचनाओं के सम्बन्ध में जनहित के सम्बन्ध में विचार कर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना चाहिये। इसका आश्य यह है कि किसी भी एडवोकेट के सम्बन्ध में भी सूचना बार काउन्सील, डाक्टर से सम्बन्ध में सूचना मेडीकल काऊॅसिल से, सस्ते गल्ले विक्रेता के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी, एन.जी.ओ. के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग जहॉ से उन्हे अनुदान मिलता है। पंजीकृत संस्थानों के बारे में उप निरीक्षक सहकारी समितियॉ एवं चिट फन्ड आदि से सूचनायें मांगी जा सकती हैं।
- यह सत्य है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचनायें उपलब्ध न कराकर मात्र निर्देश दिये जाते हैं। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी से न्यूनतम एक स्तर बडे अधिकारी हैं प्रथम अपीलीय अधिकारी को 45 दिन में अपील का निस्तारण करना होता है। तब तक आयोग की भॉति अपील का निस्तारण नहीं करना चाहिए जब तक कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के बिन्दुओं की सूचना न दे दी जाय। 15–15 दिन की तीन तारीख लगाई जा सकती है। पहली 15 दिन की तारीख पर लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जा सकते हैं। अगले 15 दिन में पुनः उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। पुनः निर्देशित सूचना को उपलब्ध कराये जाने को लिखा जा सकता है।

वर्ष 2013–14 में
आयोग को प्राप्त बजट

संख्याः 477/xxxi(13)G-25(बी-3)/2013

प्रेषक

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।

सामान्य प्रशासन विभाग — देहरादूनः दिनांक 22 अप्रैल, 2013

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु बजट की स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-अयोजनेत्तर-900-अन्य व्यय-13 सूचना आयोग की स्थापना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2,23,03,000 (रू0 दो करोड़ तेईस लाख तीन हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 2,23,02,000/ (रू0 दो करोड तेईस लाख दो हजार मात्र) की धनराशि संलग्न अलोटमेंट आई डी0 S1304060278 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही है।

2. चूँकि शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते हुये मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन किया जाय।

3. उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-284/xxvii(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्याः /xxxi(13)G-25(बी-3)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्खी रोड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग 1/5, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 वल्दिया)
संयुक्त सचिव

deepak letter.doc

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, GAD (5017)

जी पत्र संख्या - 1477/xxxi(13)G/2013 — अलोटमेंट आई डी - S1304060278

न संख्या - 006 — आवंटन पत्र दिनांक - 12-Apr-2013

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

लेखा शीर्षक - 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें — 00 -

800 - अन्य व्यय — 13 - सूचना आयोग की स्थापना

06 - सूचना आयोग की स्थापना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	6100000	6100000
02 - मजदूरी	0	240000	240000
03 - महंगाई भत्ता	0	5100000	5100000
04 - यात्रा व्यय	0	140000	140000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	80000	80000
06 - अन्य भत्ते	0	571000	571000
07 - मानदेय	0	50000	50000
08 - कार्यालय व्यय	0	900000	900000
09 - विद्युत देय	0	300000	300000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	30000	30000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	200000	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	0	300000	300000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	300000	300000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	0	1400000	1400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	3500000	3500000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स	0	1200000	1200000
18 - प्रकाशन	0	300000	300000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्या	0	70000	70000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	200000	200000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	100000	100000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	100000	100000
42 - अन्य व्यय	0	600000	600000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	1000	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	100000	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	100000	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	220000	220000
	0	22302000	22302000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 22302000

(हस्ताक्षर)

सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

उत्तराखण्ड शासन

Page 1 of 1

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची वर्ष 2013 – 14

क्र.सं.	नाम एवं	पदनाम
1	श्री एन. एस. नपलच्याल,	मुख्य सूचना आयुक्त
2	श्री विनोद नौटियाल,	राज्य सूचना आयुक्त
3	श्री अनिल कुमार शर्मा,	राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री प्रभात डबराल,	राज्य सूचना आयुक्त
5	श्री राजेन्द्र कोटियाल,	राज्य सूचना आयुक्त (10/05/2013 से)
6	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,	राज्य सूचना आयुक्त (15/01/2014 से)
7	श्री विनोद कुमार सुमन,	सचिव
8	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल,	उप सचिव (09/07/13–29/11/13) सचिव (20/11/13 से)
9	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय,	उपसचिव (08/07/13 तक)
10	श्री एस.एल. सेमवाल,	उप सचिव (21/11/13–18/12/13)
11	श्री राजेश नैथानी,	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
12	श्री टी.एस. बिष्ट,	विधि सलाहकार
13	श्री मनमोहन नैथानी,	लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी
14	श्रीमती हीरा रावत,	समीक्षा अधिकारी
15	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै,	सहायक समीक्षा अधिकारी
16	श्री उमेश चन्द्र सिंह,	सहायक समीक्षा अधिकारी
17	श्री सौरभ कुमार,	सहायक समीक्षा अधिकारी
18	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
19	श्री नरेश बिजलवाण,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
20	कु. नीतू रावत,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
21	कु. नीतू भण्डारी,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
22	श्रीमती चन्द्रा गुसांई,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
23	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
24	श्रीमती अनुराधा,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
25	श्रीमती रजनी भण्डारी,	कम्प्यूटर आपरेटर
26	श्री शैलेन्द्र हटवाल,	कम्प्यूटर आपरेटर
27	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया,	कम्प्यूटर आपरेटर

28	सुश्री आशा घिल्डियाल,	कम्प्यूटर आपरेटर
29	श्रीमती अमृता गुरूंग,	कम्प्यूटर आपरेटर
30	श्री मनोज सिंह,	कम्प्यूटर आपरेटर
31	श्री फकीर सिंह,	अनुसेवक
32	श्री मनोज कुमार,	अनुसेवक
33	श्री पंकज कुमार,	रिकॉर्ड कीपर/कम्प्यूटर आपरेटर
34	श्री प्रदीप खत्री,	अनुसेवक
35	श्री रवेन्द्र सिंह,	अनुसेवक
36	श्री हरपाल सिंह,	अनुसेवक
37	श्री सुन्दर सिंह धामी,	अनुसेवक
38	श्री सुरेन्द्र पाल,	अनुसेवक
39	श्री चंचल राम,	अनुसेवक
40	श्री प्रदीप खत्री	अनुसेवक
41	श्री प्रकाश सिंह,	अनुसेवक
42	श्री विपिन कुमार,	वाहन चालक
43	श्री नागेन्द्र भट्ट,	वाहन चालक
44	श्री नन्दू सिंह,	वाहन चालक
45	श्री धारा सिंह,	वाहन चालक
46	श्री बृजमोहन,	वाहन चालक
47	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,	सुरक्षा गार्ड
48	श्री हरि सिंह पटवाल,	सुरक्षा गार्ड
49	श्री वासुदेव पंथी,	सुरक्षा गार्ड
50	श्री मोहन सिंह नेगी,	सुरक्षा गार्ड

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 - 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वेबसाईट: http//uic.gov.in

XtremeIDEAS | 8057999080